

सूचना नहीं देने वाले अधिकारी होंगे दंडित: शशांक

(आज समाचार सेवा)

पटना। बिहार के मुख्य आयुक्त न्यायमूर्ति शशांक कुमार सिंह ने कहा कि सूचना अयोग्य विहार को पत्रका को संबंधित सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहित है। अगर इस विभाग में कोई अधिकारी अन्यायपूर्ण करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। श्री सिंह बुधवार को होलम पार्लियूक असेंबली में सूचना के अधिकार का अयोग्य सत्रोय संगोष्ठी का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने उपासना एनएम प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि इस अधिकार से न्याय को लक्ष्यित करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा जिस न होने पर यह अधिकार कुछ लोगों का शिक्का बनकर रह जाएगा। संगोष्ठी

का अयोजन नवी दिल्ली की संस्था वाणी, प्रिया और आध के संयुक्त आयोजन में किया गया जिसमें बिहार के अलग-अलग जिलों, साहब, भाग प्रदेस, झारखंड, उदप्रदेश और उत्तरांचल में सूचना के अधिकार पर काम करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय विकास विभाग के विशेष एमएम रावू ने कहा कि सूचना के अधिकार के कार्यालय में सुझाव बनाया जा सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को वास्तविक कदमों के लिए सूचना पहले अपने सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार विभाग पर उल्लेख दे रही है जो अपने 14 दिनों में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विशालाखणी प्रो. प्रिय

केंट, राज्य सूचना आयोग के सचिव एमएम प्रिया ने भी अपनी बातें रखीं। इस मौके पर डेवी नारायण, वकील कुमल शिवशंकर, मनीष प्रसाद प्रिया

संगोष्ठी में केविशमम झा, जेता तिवारी और भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आराम अयोग्य अयोग्य विचारों पर राज्य न्यायकार ज्ञान प्रकाश ने किया।



24th October, 2007

News - 1981 3 - 10 Fullpage, Eastend India, Patna, Bihar

दिल में गरीबों के

हिन्दुस्तान पटना, बुधवार, 25 अक्टूबर, 2007

सूचना का अधिकार अधिनियम का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा

पटना (का.सं.) राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए तीन साल गुजर गए, लेकिन अभी भी आम लोगों को इसका लाभ नहीं पहुंचा पाया है। ये बातें राज्य सूचना आयोग न्यायाधीश शशांक कुमार सिंह ने बुधवार को सूचना के अधिकार पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर स्थितियां कुछ बेहतर हैं, लेकिन जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर लोगों को वांछित जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कार्यशाला में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपील की कि इस अधिकार से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा ताकि यह अधिनियम कुछ लोगों के हाथों का शिक्का बन कर न रह जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय विकास विभाग के विशेष सचिव एस एम रावू ने

कहा कि सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा अज्ञानता और जागरूकता की कमी है। कार्यशाला के दूसरे सत्र में विनय केंट ने कहा कि महान कानून बन जाने से लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता। इस मौके पर सूचना सचिव एस के मिश्रा ने कहा कि आयोग ने अभी तक इस अधिनियम के तहत सूचना देने में कोशिश करने के आरोप में 34 मामलों में कार्रवाई की है। कार्यशाला को डेवी नारायण, मनीष शिवशंकर, मनीष प्रसाद, विकास झा व परेश तिवारी समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इसका आयोजन वाणी, प्रिया और आध के संयुक्त आयोजन में किया गया था। कार्यशाला का संचालन आम प्रकाश व विश्वरंजन और धन्यवाद ज्ञान वाणी बिहार के प्रकाश ने किया।

कार्यशाला में सूचना आयुक्त ने कहा



रोज

Info through RTI below expectation

TIMES NEWS NETWORK

Patna: Chief information commissioner (CIC) Justice Shashank Kumar Singh lamented that Right to Information Act (RTI) could not come up to the expectations of a common man. Much has to be done to empower a common man for getting information through RTI, he added.

The CIC was addressing a national consultation on RTI and its implementation, organised by Voluntary Action Network India (VANI), Association of Bihar Voluntary Agencies (ABVA) and Society for Participatory Research in Asia (PRIA) here on Wednesday.

Describing RTI as only of its kind, Justice Singh said though the Act has succeeded in empowering the citi-

zens of the state, much has to be done in this field. He said NGOs would have to play a pro-active role in apprising the people of RTI and its implementation. The CIC was also critical of the reluctant attitude of the bureaucrats as they are unwilling to share information. He said in many districts, the authorities have failed to appoint information officer.

Justice Singh stressed the need of improving things at block and district levels. "I am not satisfied with the situation at grassroot level. Either the situation is perfect or pitiable as a common man is still unaware of the Act," said the CIC and added that the Bihar State Information Commission has disposed of as many as 2,000 petitions out of 3,000 received by the commission.

The CIC said the commission is bound to provide information to the people and he warned of stern action against such officials who fail to provide information.

He also stressed the need to organise such functions at the block level and assured all possible assistance in this regard. Speaking on the occasion, special secretary, rural development department, S M Raju said the main hindrance in implementation of the Act is lack of sensitivity and illiteracy among the people. He sought cooperation from mediapersons and NGOs in this regard.

Prominent among others who addressed the gathering included VANI chief executive officer Paresh Tiwari, State Information Commission secretary S K Mishra and Om Prakash.